न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम्, मुजफ्फरपुर

सत्रवाद संख्या–656 / 2013

आदेश

14.05.2024 वाद अभिलेख अभियोजन / सूचक की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक–16.01.2024 तथा उसके विरूद्ध बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 08.02.2024 पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु प्रस्तुत है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं सूचक की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह कहा है कि इस कांड की घटना ग्राम अली नेउरा, थाना मीनापुर, जिला–मुजफ्फरपुर में दिनांक 16.11.2011 को घटित हुई थी जिसमें सूचक एवं अन्य जख्मी हुए थे जिनका इलाज एस0के0एम0सी0एच0 अस्पताल, मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहा गया है कि एस0के0एम0सी0एच0 अस्पताल में सूचक चन्द्रदेव महतो और जख्मी अवधेश कुमार तथा नरेश महतो का चिकित्सकीय परीक्षण डा0 श्री रमण के द्वारा दिनांक 16.11.2011 को किया गया था और डा0 श्री रमण न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षी सं0–7 के रूप में उपस्थित होकर इन सभी जख्मियों के जख्म प्रतिवेदनों को पहचान कर प्रदर्श–5, प्रदर्श–5 / 1 तथा प्रदश–5 / 2 चिन्हांकित कराया है और अपनी गवाही में उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने इन जख्मियों का परीक्षण दिनांक 16.11.2011 को एस0के0एम0सी0एच0 अस्पताल में किया था। आगे कहा गया कि दिनांक 19.11.2011 को अहियापुर थाना के स0अ0नि0 विजय बहादुर सिंह ने एस0के0एम0सी0एच0 अस्पताल में सूचक चन्द्रदेव महतो का फर्दबयान अंकित किया था क्योंकि एस0के0एम0सी0एच0 अस्पताल अहियापुर थाना के अन्तर्गत आता है किन्तु उन्होंने उस फर्दबयान में गलती से घटना तिथि को 16.11.2011 के स्थान पर 19.11.2011 दर्ज कर दिया और उस फर्दबयान को मीनापुर थाना के लिए अग्रसारित कर दिया जिसके आधार पर मीनापुर थाना कांड सं0–324 / 2011 दर्ज किया गया और अनुसंधान के उपरांत इन अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित किया गया। आगे कहा गया है कि इस वाद के सूचक एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है और वह उस समय स्वयं लिखित आवेदन लिखकर देने की स्थिति में नहीं था, इस कारण स0अ0नि0 विजय

बहादुर सिंह ने उसका फर्दबयान 19.11.2011 को दर्ज किया। कहा गया कि सूचक सहित सभी अभियोजन साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही के दौरान भी इस कांड की घटना तिथि दिनांक 16.11.2011 बताया है जिसकी पुष्टि चिकित्सकीय साक्षी डा0 श्री रमण (P.W-7) की गवाही तथा जख्मियों की जख्म प्रतिवेदन (प्रदर्श–5 से प्रदर्श–5/2) से होती है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन के इस आवेदन को विरोध करते हुए यह कहा है कि चिकित्सक साक्षी इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, इसलिए केवल उनके कथन के आधार पर इस संदर्भ में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह भी कहा गया है कि इस प्राथमिकी का आधार सूचक चन्द्रदेव महतो का फर्दबयान है और उन्होंने अपने स्वस्थ मनःस्थिति में यह फर्दबयान दिया जिसे पढ़कर उन्हें सुनाया गया और उसके बाद उन्होंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया और उस फर्दबयान पर सूचक के पुत्र नरेश महतो का भी हस्ताक्षर है, इसलिए स0अ0नि0 विजय बहादुर सिंह की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह् नहीं खड़ा किया जा सकता। इन आधारों पर अभियोजन के उपरोक्त आवेदन को खारिज करने की मांग की गई।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का यह कहना है कि कथित घटना दिनांक 16.11.2011 को घटित हुई थी जिसमें सूचक चन्द्रदेव महतो सहित उनके दो पुत्र अवधेश कुमार और नरेश महतो जख्मी हुए थे किन्तु सूचक का फर्दबयान दर्ज करने वाले सहायक अवर निरीक्षक ने उक्त फर्दबयान में गलती से घटना तिथि 16.11.2011 के स्थान पर 19.11.2011 दर्ज कर दिया।

इस कांड के फर्दबयान के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि फर्दबयान दर्ज करने वाले उक्त सहायक अवर निरीक्षक ने उस फर्दबयान में उस फर्दबयान को दर्ज करने का समय दिनांक 19.11.2011 को 13:00 बजे अपराह्न लिखा है जबकि उसी फर्दबयान में इस घटना का समय दिनांक 19.11.2011 को शाम करीब 8:00 बजे अपराह्न लिखा गया है जो कि अपने–आप में अविश्वसनीय है क्योंकि घटना के पूर्व ही फर्दबयान कैसे दर्ज हो सकता है। इस कांड के जख्मी अवधेश कुमार, चन्द्रदेव महतो तथा नरेश महतो का जख्म प्रतिवेदन (प्रदर्श–5, प्रदर्श–5/1 तथा प्रदर्श–5/2) अभिलेख पर संलग्न है जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इन सभी

जख्म प्रतिवेदनों में इन जख्मियों के चिकित्सकीय जांच की तारीख 16.11.2011 शाम क्रमशः 9:10 P.M., 9:24 P.M. तथा 9:50 P.M. दर्ज है तथा इनमें जख्म कारित होने का अनुमानित समय भी दिनांक 16.11.2011 शाम 7:30 P.M. दर्शाया गया है। इसके अलावा जख्मी अवधेश कुमार के जख्म प्रतिवेदन पर उनका सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन नं0–543 की तिथि दिनांक 17.11.2011 दर्ज है तथा जख्मी नरेश महतो के जख्म प्रतिवेदन पर उनके एक्सरे नं0–17390 की तिथि दिनांक 17.11.2011 दर्ज है जो कि प्राथमिकी में दर्ज घटना तिथि दिनांक 19.11.2011 से दो दिन पहले का है। कांड दैनिकी के कंडिका 19 में पुलिस निरीक्षक मीनापुर का पर्यवेक्षण टिप्पणी दर्ज है जिसमें इस कांड संख्या–324/11 को अभियुक्तगण द्वारा दर्ज कराये कांड संख्या– 321/11 का प्रतिलोम कांड (Counter Case) बताया गया है और इसमें दोनों पक्षों के व्यक्तियों के जख्मी होने की बात आई है। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सभी तथ्य के साक्षियों ने इस घटना की तिथि 16.11.2011 बताया है तथा चिकित्सक साक्षी डा0 श्री रमण (P.W-7) ने भी दिनांक 16.11.2011 को ही रात्री में इन जख्मियों का परीक्षण किये जाने की बात कहा है, जिसकी पुष्टि इन जख्मियों की जख्म प्रतिवेदन से होती है। ऐसी स्थिति में कथित घटना दिनांक 16.11.2011 को ही कारित होना प्रकट होता है न की 19.11.2011 को। जहां तक इस कांड के अनुसंधान का प्रश्न है तो कांड दैनिकी के कंडिका 1 में सूचक का फर्दबयान उतारा गया है जिसमें घटना का समय स्वयं फर्दबयान से अलग दिनांक 19.11.2011 को 2 बजे अपराह्न लिखा गया है जबकि मूल फर्दबयान में घटना का समय 19.11.2011 को 8 बजे अपराह्न लिखा गया है। इसके अलावा कांड दैनिकी के कंडिका 5 में पुनः घटना तिथि 19.11.2011 को 2 बजे लिखा गया है। इतना ही नहीं कंडिका 8 में एक अन्य साक्षी के बयान में घटना तिथि उसके एक माह बाद की दिनांक 19.12.2011 लिखा गया है। कंडिका 9 और 12 में घटना की तिथि में कटिंग की गई है किन्तु उस पर अनुसंधानकर्ता का कोई लघु हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रकट होता है कि इस कांड में अनुसंधान के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है और इसलिए केवल इसके आधार कथित घटना की तिथि 19.11.2011 मान लिया जाना न्यायोचित् प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत यह आवेदन दिनांक 16.01.2024 को स्वीकृत किया जाता है और धारा 216 दं0प्र0सं0 के तहत इस कांड में पूर्व में गठित आरोप में इस कांड की घटना तिथि

दिनांक 19.11.2011 के स्थान पर 16.11.2011 संशोधित किया जाना न्यायोचित् प्रतीत होता है। बचाव पक्ष को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस आलोक में संशोधित आरोप के गठन हेतु दिनांक 07.06.2024 को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि सभी अभियोजन साक्षियों ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में इस संशोधित घटना तिथि दिनांक 16.11.2011 को ही इस कांड का घटना तिथि बताया है और इसी पर बचाव पक्ष के द्वारा इन साक्षियों का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया गया है, इसलिए बचाव पक्ष को इस संशोधित आरोप की बिन्दु पर इन साक्षियों के पुनः प्रतिपरीक्षण की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए आरोप में इस संशोधन के पश्चात् इस वाद की कार्रवाई पूर्ववत् बहस के प्रक्रम पर चलेगी।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम
मुजफ्फरपुर